भारत सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का सिक्षंप्त विवरण जिसमें कनवर्जन्स के माध्यम से अर्ह लाभार्थी के रूप में नामित सहकारी सिमितियाँ को लाभ प्राप्त हो सकता है।

1. परियोजना का नाम	कृषि अवस्थापना निधि (एआईएफ)
नोडल विभाग / मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
गतिविधियाँ :—	साइलो, भण्डार गृह, प्राइमरी प्रोसिसिग यूनिट।
परियोजना की लागत :	200.00 लाख।
मार्जिन मनी :	20 प्रतिशत।
ब्याज अनुदान :	भारत सरकार द्वारा ३ प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ३ प्रतिशत।
ऋण भुगतान की अवधि	7 वर्ष
पोर्टल	https://agriinfra.dac.gov.in/
आवेदन कैसे करें	https://agriinfra.dac.gov.in/Content/video/Agri_pro_ Hindi_6.mp4

2. परियोजना का नाम	कृषि विपणन आधारिक संरचना(एएमआई)
नोडल विभाग / मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
गतिविधियाँ	प्राइमरी प्रोसिसिग यूनिट, मार्केटिंग सेड।
परियोजना की लागत	कोई लिमिट नही हैं।
मार्जिन मनी	20 प्रतिशत।
सब्सिडी	33.33 प्रतिशत अधिकतम 30 लाख। नाबार्ड के माध्यम सब्सिडी प्राप्त किया जा सकता है।
पोर्टल	https://dmi.gov.in/
आवेदन कैसे करें	https://dmi.gov.in/Documents/AMI_OG_Scheme_hindi.pdf (अनुबंध – 8) https://dmi.gov.in/Documents/AMI_OG_Scheme.pdf (Annexure – VIII) 1. प्रोत्साहक को अनुदान सिहत साविध ऋण हेतु परियोजना का प्रस्ताव वित्तीय संस्थान को निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रस्तुत करना होगा। 2. साविध ऋण की स्वीकृति पर, वित्तीय संस्थान स्वीकृति पत्र और अन्य सभी निर्देश जारी करेगा। 3. वित्तीय संस्थान उनकी पावती के प्रतीक के रूप में प्रमोटर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्देश की एक प्रति प्राप्त करेगा। 4. वित्तीय संस्थान ऋण की पहली किस्त के संवितरण के 90 दिनों के भीतर जवाब देगा, आरओ, नाबार्ड को, अपने नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से, निर्धारित प्रपत्र में अग्निम सब्सिडी के लिए एक संक्षिप्त परियोजना प्रोफ़ाइल-सह-दावा प्रपत्र 5. सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र की एक प्रति डीएमआई के क्षेत्रीय कार्यालय या उप-कार्यालय में भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। वित्तीय संस्थान प्रमोटर को नाबार्ड को स्वाराणक प्रस्तुत कर में को में

3. परियोजना का नाम	SUB-MISSION ON AGRICULTURAL MECHANIZATION(SMAM)
नोडल विभाग / मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
गतिविधियाँ	हाई टेक मशीनरी, हब, फार्म मशीनरी।
परियोजना की लागत	हाई टेक मशीनरी के लिए 250 लाख तथा कस्टम हायरिन्ग सेन्टर के लिए 60 लाख।
मार्जिन मनी	भारतीय रिर्जव बैंक के नियमों के अनुरूप।
सब्सिडी	40.0 प्रतिशत अधिकतम कस्टम हायरिन्ग सेन्टर हेतु 24 लाख, हाईटेक मशीनरी हेतु 100 लाख
पोर्टल	https://agrimachinery.nic.in/
आवेदन कैसे करें	https://agrimachinery.nic.in/Files/CHC.pdf
	https://agrimachinery.nic.in/Files/CHCAPP.pdf

4. परियोजना का नाम	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
नोडल विभाग / मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
गतिविधियाँ	कोल्ड स्टोरेज, पैक यूनिट, कूलिंग चैम्बर।
मार्जिन मनी	20 प्रतिशत।
सब्सिडी	35.0 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों में 50 प्रतिशत पर्वतीय व अधिसूचित क्षेत्रों में।
पोर्टल	https://midh.gov.in/
आवेदन कैसे करें	https://midh.gov.in/PDF/midh(Hindi).pdf

5. परियोजना का नाम	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)
नोडल विभाग / मंत्रालय	खाद्यय एवं प्रसंस्करण मत्रांलय भारत सरकार।
गतिविधियाँ	राइस मिल, आटा चक्की, पैकजिंग यूनिट।
न्यूनतम टर्नओवर	100 লাভ্র
अनुभव	न्यूनतम तीन वर्ष ओडीओपी के तहत प्रोडुयूस प्रोसेंसिग।
मार्जिन मनी	10 प्रतिशत
सब्सिडी	35 प्रतिशत केंडिट लिंक ग्रांट
पोर्टल	https://pmfme.mofpi.gov.in
आवेदन कैसे करें	https://pmfme.mofpi.gov.in Downloads > User Manuals > Application Submission > Hindi/English

परियोजना का नाम	प्रधानमंत्री कुसुम योजना
नोडल विभाग / मंत्रालय	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
गतिविधियाँ	सौर पंप ,ग्रिड और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना योजना में तीन घटक शामिल हैं:
घटक	घटक ए: 10,000 मेगावॉट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स के अलग-अलग प्लांट साइज 2 मेगावॉट तक। घटक बी: 7.5 एचपी तक की व्यक्तिगत पंप क्षमता के 17.50 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना। घटक सी: 7.5 एचपी तक की व्यक्तिगत पंप क्षमता के 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन।
सब्सिडी	60 प्रतिशत तक
पोर्टल	https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html
आवेदन कैसे करें	https://mnre.gov.in/solar/schemes/
	Menu>Schemes>Solar>Solar Offgrid schemes> PM KUSUM > Implementation guidelines

परियोजना का नाम	
नोडल विभाग / मंत्रालय	
गतिविधियाँ	
न्यूनतम टर्नओवर	
अनुभव	
मार्जिन मनी	
सब्सिडी	
पोर्टल	
आवेदन कैसे करें	

6. परियोजना का नाम	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना(पीएमकेएसवाई)
नोडल विभाग / मंत्रालय	खाद्यय प्रसंस्करण उद्योग मत्रांलय भारत सरकार।
गतिविधियाँ	फूड टेस्टिंग लैब, कोल्ड चैन सिस्टम, पैकिंग सुविधाएं, बाउन्ड्री बाल, सड़क, धर्मकांटा।
परियोजना की लागत	1000 लाख।
मार्जिन मनी	10 प्रतिशत।
सब्सिडी	भण्डारण आधारिक संरचना— 35.0 प्रतिशत। वैल्यू एडीशन तथा प्रसंस्करण आधारिक संरचना 50 प्रतिशत।
पोर्टल	https://sampada-mofpi.gov.in/

7. परियोजना का नाम	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम(एनपीडीडी)
नोडल विभाग / मंत्रालय	पशुपालन एवं डेयरी विभाग।
गतिविधियाँ	दूघ जॉच प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण एवं मुल्यांकन।
परियोजना की लागत	4 लाख।
मार्जिन मनी	10 प्रतिशत।
सब्सिडी	20 से 90 प्रतिशत।
पोर्टल	https://dahd.nic.in/

नोट :— उक्त योजना के तहत यू0पी0 कम्पोनेन्ट बी मे आता है तथा सहकारी समितियों को इस योजना में अर्हता हेतु अद्यतन आडिट के साथ पाजटिव नेटवर्थ भी होना चाहिए।

8. परियोजना का नाम	डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)
नोडल विभाग / मंत्रालय	पशुपालन एवं डेयरी विभाग।
गतिविधियाँ	मिल्क चिलिंग, इलेक्ट्रानिक्स दुग्ध जांच उपकरण, मिल्क प्रोसिंसिग यूनिट।
परियोजना की लागत	निर्धारित नही है।
मार्जिन मनी	20 प्रतिशत।
ब्याज अनुदान	2.5 प्रतिशत।
पोर्टल	https://dahd.nic.in/
नोट :- सहकारी समितियों को इस योजना में अर्हता हेतु पाजटिव नेटवर्थ के साथ लाभ मे होना चाहिए।	

9. परियोजना का नाम	प्रधानमंत्री मतस्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)
नोडल विभाग / मंत्रालय	मतस्य विभाग।
गतिविधियाँ	न्यूकिलियस प्रजनन केन्द्र, हैचरी, बायोप्लाक तालाब।
परियोजना की लागत	निर्धारित नही है।
मार्जिन मनी	निर्धारित नही है।
सब्सिडी	40 प्रतिशत।
पोर्टल	https://pmmsy.dof.gov.in/

10. परियोजना का नाम	मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ)
नोडल विभाग / मंत्रालय	मतस्य विभाग।
गतिविधियाँ	आइस प्लान्टस, कोल्ड स्टोरेज, नयी हेचुरीज, मछली प्रोसेंसिंग यूनिट।
परियोजना की लागत	निर्धारित नही है।
मार्जिन मनी	20 प्रतिशत।
ब्याज अनुदान	3 प्रतिशत वार्षिक।
ऋण भुगतान की अवधि	12 वर्ष।
पोर्टल	https://www.fidf.in/

नाबार्ड के माध्यम से संचालित परियोजनाएं

बहुउद्देश्यी पैक्स को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में स्थापित करना।

इस परियोजना के तहत सभी बहउद्देश्यी पैक्स को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए बहुउद्देश्यी पैक्स के बाइलाज में संशोधन कर दिया गया है जिसके उपरान्त कई व्यवसायिक गतिविधियों जैसे डेयरी, मतस्य, खाद्यन्न भण्डारण, एलपीजी / सीएनजी वितरक, कामन सर्विस सेन्टर, उचित दर की दुकान, विजनेस कोरेसपोडेन्ट, आधारिक संरचना, सरकार की डीवीटी योजनाएं आदि को संचालित कर सकते है। इस हेतु पैक्स को आईता पूर्ण करने की दशा में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

• पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन

प्रदेश के समस्त पैक्स को अगले पाँच वर्षों में कम्प्यूटराइज किया जाना है। प्रथम चरण में 1539 पैक्स का चयनित है। सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर का चयन किया जा चुका है तथा हार्डवेयर क्रय की टेन्डर प्रकिया सम्पादित की जा रही है। द्वितीय चरण में कम्प्यूटराइजेशन हेतु पैक्स के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

सहकारिता विकास निधि

इसका उद्देश्य बहुउद्देश्यी पैक्स को ग्रांट/साफटलोन के माध्यम से सहयोग कर सुदृढ़ मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम तथा पैक्स को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में स्थापित किया जाना है।

एनसीडीसी के माध्यम से संचालित परियोजनाएं

- डेयरी सहकार के माध्यम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से सम्बन्धित सुंविधाओं / नई इकाइयों के
 गठन आधुनिकीकरण / विस्तारीकरण हेतु ब्याज अनुदान / सब्सिडी उपलब्ध कराना।
- नन्दनी सहकार के माध्यम से महिला सहकारी समितियों को उद्यम विकास, व्यवसायिक गतिविधियों की प्लानिंग, आदि के लिए ब्याज अनुदान के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।
- डिजिटल सहकार के माध्यम से सहकारी समितियों को डिजिटलाइज करने हेतु आवश्यक संरचानाओं जैसे डाटा सेन्टर आदि के निमार्ण में सहयोग प्रदान करना।
- युवा सहकार के माध्यम से नवगितत सहकारी सिमितियों को नवीन एवं इनोवेटिव आइडियाज के लिए व्याज अनुदान के माध्यम से सहयोग प्रदान कराना।
- आयुष्मान सहकार के तहत सहकारी सिमितियों को अस्पताल तथा इससे संबंधित आधारिक संरचना हेतु मार्जिन मनी तथा कार्यकारी पूंजी के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।
- सहकार मित्र के माध्यम से प्रोफेसनल ग्रेजुएटस में उद्यमिता के विकास नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करना जिसमे 4 महीन की इर्न्टनिशप एवं स्टाइपेन्ड के रूप में 10 हजार रूपये प्रतिमाह प्रदान करना।